

## भाग - II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य ब्रह्म संख्या .....

7-	परियोजना स्कीम का स्थान	जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत हनुमान मंदिर से स्यालसी—गोरण मोटर मार्ग (कुल लम्बाई—3.40 किमी) के निमार्ण हेतु अपेक्षित 0.8775 है० सिविल सौयम भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०निं०वि०, अस्थाई खण्ड, थत्यूड को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।
	(i) राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
	(ii) जिला	टिहरी गढ़वाल
	(iii) वन प्रभाग	मसूरी वन प्रभाग, मसूरी
	(iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टेअर में)	0.8775 हैक्टर
	(v) वन की कानूनी स्थिति	0.1350 है० सिविल भूमि ग्राम डोलसी 0.6255 है० सिविल भूमि ग्राम स्यालसी 0.1170 है० सिविल भूमि ग्राम गोरण <b>0.8775 है०</b>
	(vi) हरियाली का घनत्व	0.1
	(vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणामना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल. -2 मीटर पर परिणामना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाएँ।	प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण में विभिन्न प्रजाति / व्यासवर्ग के (07)सात वृक्ष सिविल भूमि तथा 07 वृक्ष नाप भूमि में कुल 14 वृक्ष प्रभावित / वाधक हैं। जिसमें (05 सिविल भूमि तथा 02 नाप भूमि कुल 07) वॉज प्रजाति के वृक्ष सम्मिलित हैं। उक्त सभी वृक्षों की भूमिवार / प्रजातिवार / व्यासवर्गवार गणना एंवं मूल्यांकन सूची प्रस्ताव के संलग्नक-20 से 24 पर चस्पा है।
	(viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	नहीं। इस बावत प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक-48 से 50 पर वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एंवं विभागाध्यक्ष, लो०निं०वि०, देहरादून की दि० 02-02-2015 की आख्या चस्पा है।
	(ix) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित / चयनित स्थल ग्राम डोलसी, स्यालसी एंवं गोरण की सिविल भूमि की सीमा अन्तर्गत स्थित है।
	(x) क्या कार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, वाष्प रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग हैं। (यदि हां, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाएँ)	नहीं। इस बावत प्रस्तावक / लो०निं०वि० एंवं वन विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक -27 पर तत्संबंधी प्रमाण पत्र चस्पा है।
	(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती हैं। यदि हां तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें।	— नहीं —
	(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा तक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत प्रस्तावक / लो०निं०वि० एंवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक - 56 पर प्रमाण पत्र चस्पा किया गया है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मद-वार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक / लो०निं०वि० एंवं राजस्व विभाग द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक - 54 पर चस्पा है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई तहित कार्य का व्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी घल रहे हैं।	— नहीं —
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा	प्रस्तावित कार्य हेतु अपेक्षित वन भूमि 1.00 है० से कम है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राविधिक नहीं किया गया है।

(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिधारित बनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित वन भूमि 1.00 हेक्टर से कम है। अतः प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित मार्ग के निर्माण कार्य में सिविल सायेन भूमि में प्रभावित / वाधक होने वाले (07) सात वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक 39ए पर चर्चा है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिधारित बनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन शीमाओं को दर्शाता है।	उवतानुसार।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियाँ:- जलवायु के अनुलेप भित्रित प्रजातियाँ। कार्यान्वयन एजेंसी:- स्वयं वन विभाग। समय:- उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। लागत:- प्रस्तावित योजना के निर्माण में वाधक वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण हेतु ₹ 0 70000.00 (₹ 0 सत्तर हजार मात्र) का प्राक्कलन संलग्नक 39ए पर चर्चा है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिवर्यय।	प्रस्तावित योजना के निर्माण में वाधक वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण हेतु ₹ 0 70000.00 (₹ 0 सत्तर हजार मात्र) का प्राक्कलन संलग्नक 39ए पर चर्चा है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिधारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिधारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फौल्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारियों, फौल्ड रसाफ, राजस्व विभाग एवं प्रस्तावक / लो०नि�०यि० की स्थलीय संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके संलग्नक- 13 व 14 पर चर्चा है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण दि० 17-०८-२०१६ एवं 10-०८-२०१७ को किया गया है, जो कि स्थलीय संयुक्त निरीक्षण के साथ संलग्नक-14 ए व 14बी पर चर्चा है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	जिला- टिहरी गढ़वाल
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4421 वर्ग किमी
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	4058.90 वर्ग किमी
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से बनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 94 है। बनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 979.9032 हेक्टर है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 516.5694 हेक्टर 463.3338 हेक्टर सिविल सोयम भूमि है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण <ol style="list-style-type: none"><li>दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :-</li><li>वनेतर भूमि पर-</li></ol>	(क) 227.0912 / 622.9106 हैक्टेयर (ख) रिक्त
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति:- <ol style="list-style-type: none"><li>वन भूमि पर</li><li>वनेतर भूमि पर</li></ol>	(क) 1- 218.90 हेक्टर / 504.88 हेक्टर में प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
13.	प्रस्ताव को रवीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रस्तावित क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिश्रेष्ठ ने प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

दिनांक: 16-८-२०१७ ।

स्थान:- मसूरी,

हस्ताक्षर  
नाम:- (डॉ. साकेत बडोला)  
संरक्षकीय वनाधिकारी  
मसूरी वन प्रशासन, मसूरी